वीवीजीएनएलआई
पॉलिसी पर्सपेक्टिव्ज
ई-श्रम
Azadi Ka Amrit Mahotsav
संख्या 9 नवम्बर 2021

भारत में समावेशी विकास को बढ़ावा देना.....

-श्रम सुधार और श्रम कल्याण योजनाओं का पर्यावलोकन

- **डॉ. एच. श्रीनिवास**, भा.रे.का.से.*

भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। भयानक कोविड–19 महामारी, जो दुनिया भर में व्यापक रूप से फैल रही है, के बाद देश की अर्थव्यवस्था की वी–आकार की पुनर्प्राप्ति और अंतर्निहित मजबूत मैक्रो अर्थशास्त्र के मूलतत्व ऐसे संकेतक हैं जो 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था को प्राप्त करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने में देश की क्षमता का संकेत देते हैं। सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी और भू–राजनीतिक क्षेत्रों में सरकार की हालिया नीतिगत पहल इस बात के और संकेत हैं कि भारत आने वाले वर्षों में क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर मजबूत छाप छोड़ने जा रहा है।

सांस्कृतिक विविधतायुक्त भारत जैसे विशाल और विविधता वाले देश में जनसांख्यिकीय लाभांश का उपयोग करने के लिए नीतिगत सुधारों, जो समावेशी विकास को बढ़ावा देते हैं, की शुरुआत करना महत्वपूर्ण हो जाता है। मौजूदा 29 श्रम अधिनियमों को समाहित करते हुए हाल ही में अधिनियमित चार श्रम संहिताएं, कर्मचारी एवं नियोक्ता अनुकूल डिजिटल पोर्टल और समाज के विभिन्न वर्गों के लिए आजीविका सृजन, अच्छे रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने एवं बीमारी/स्वास्थ्य, वृद्धावस्था सुरक्षा, मातृत्व, रोजगार की चोट आदि के संदर्भ में सामाजिक सुरक्षा की दिशा में केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं सर्व–समावेशी विकास को प्राप्त करने की दिशा में देश के आगे बढ़ने के निश्चित संकेत हैं।

यह आलेख सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई कुछ पहलों अर्थात संसद द्वारा पारित चार श्रम संहिताएं, शुरू किए गए डिजिटल पोर्टल और एक ओर लोगों को सामाजिक सुरक्षा, कौशल/प्रशिक्षण एवं आजीविका के अवसर प्रदान करने और दूसरी ओर व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र एवं उद्यमिता को और आगे बढ़ावा देने पर लक्षित सभी प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं का पर्यावलोकन प्रदान करता है।

I. श्रम संहिताएं

मौजूदा श्रम अधिनियमों को समामेलित, सरल एवं युक्तिसंगत बनाने और उनके कार्यान्वयन में पारदर्शिता एवं गति लाने के उद्देश्यों के साथ चार श्रम संहिताओं नामतः मजदूरी संहिता, 2019; औद्योगिक संबंध संहिता, 2020; सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020; और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशाएं संहिता, 2020 को तैयार किया गया है।

(क) मजदूरी संहिता, 2019: यह संहिता सभी कर्मचारियों के लिए मजदूरी के भुगतान की प्रयोज्यता को सार्वभौमिक बनाने का इरादा रखती है। उदाहरण के लिए, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो पहले अधिसूचित अनुसूचित रोजगार में लगे श्रमिकों तक ही सीमित था, अब देश के प्रत्येक श्रमिक का अधिकार बन गया है और इस प्रकार समाज में समानता लाने की दिशा में यह एक ऐतिहासिक कदम है। मजदूरी के भुगतान में लिंग आधारित भेदभाव को दूर करना देश में महिला कार्यबल के लिए एक बड़ी राहत होगी। इसके अलावा,

---

* (i) डॉ. एच. श्रीनिवास, भारतीय सिविल सेवा के 1991 बैच से हैं और वर्तमान में वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान के महानिदेशक हैं।

(ii) इस आलेख में चर्चा किए गए श्रम कल्याण उपाय संपूर्ण नहीं हैं और इसमें सभी उपायों को कवर नहीं किया गया हैं। सटीकता और विवरण के लिए मूल साहित्य को देखें। लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं।

न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने की जिम्मेदारी अब पूरी तरह से नियोक्ताओं पर है। यह संहिता कौशल पर एक प्रीमियम भी निर्धारित करती है, इस प्रकार देश के 'स्किल इंडिया कार्यक्रम' से जुड़ती है। इस संहिता में मजदूरी से संबंधित मौजूदा चार श्रम अधिनियमों अर्थात मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936; न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948; बोनस संदाय अधिनियम, 1965 और समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 को सम्मिलित किया गया है।

(ख) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020: इसका उद्देश्य वैधानिक रोजगार शर्तों जैसे कि कार्यस्थल पर काम के घंटे, मजदूरी दर, तनख्वाह का दिन, शिकायत निवारण तंत्र आदि को प्रकाशित एवं प्रदर्शित करना अनिवार्य बनाकर बेहतर कर्मचारी–नियोक्ता संबंधों को बढ़ावा देना है। नियमित कर्मचारियों के समान सामाजिक सुरक्षा, मजदूरी, यथानुपात ग्रेच्युटी आदि जैसे सभी वैधानिक लाभों के साथ 'नियत कालिक' रोजगार के नए प्रावधान और छंटनी किए गए कामगारों के प्रशिक्षण के लिए 'री–स्किलिंग फंड' से नियोक्ताओं और कर्मचारियों, दोनों को विभिन्न मात्रा में मदद मिलने की संभावना है।

(ग) व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशाएं संहिता, 2020: इसका उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों सहित सभी श्रमिकों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल प्रदान करना है। यह संहिता मौजूदा 13 श्रम अधिनियमों को समाहित करती है और महिला श्रमिकों को रात की पाली में काम करने की अनुमति देकर कामकाजी पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता लाती है। यह श्रमिकों को संभावित कार्यकाल/संविदा अवधि सहित निर्दिष्ट शर्तों के साथ नियुक्ति पत्र प्राप्त करने का अधिकार देता है। मजदूरी संहिता के साथ यह संहिता 'निरीक्षक' का नाम 'निरीक्षक–सह–सुविधा प्रदाता' के रूप में बदलकर श्रम प्रवर्तन अधिकारियों की भूमिका को फिर से परिभाषित करती है। इसका यह अर्थ है कि निरीक्षण अधिकारी अब सरोकार के मामलों में निरीक्षण किए जाने वाले संगठन के नियोक्ताओं और कर्मचारियों का मार्गदर्शन भी करेगा। नियोक्ता की लागत पर कर्मचारियों के लिए सालाना अनिवार्य स्वास्थ्य जांच जैसे प्रावधानों से व्यावसायिक रोगों का शीघ्र पता लगाने और उपचार में मदद मिलेगी। ट्रांसजेंडर्स को अलग वॉशरूम/लॉकर सुविधाओं आदि के साथ एक अलग कार्य समूह के रूप में मान्यता देना इस संहिता की एक और पहचान है।

(घ) सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020: इस संहिता में श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा से संबंधित मौजूदा नौ श्रम कानूनों को समामेलित किया गया है। इस संहिता में पहली बार असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, जिनमें घर पर काम करने वाले, घरेलू कामगार आदि शामिल हैं, के लिए भी सामाजिक सुरक्षा के कवरेज को सार्वभौमिक बना दिया गया है। जबकि विकसित देशों सहित विभिन्न देश इस बात पर विचार कर रहे हैं कि गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को कैसे कवर किया जाए, भारत ने उन्हें सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने का बीड़ा उठाया है। इसमें इच्छित लाभों के वित्तपोषण के तरीकों और साधनों की खोज करना भी शामिल है।

II. कर्मचारी एवं नियोक्ता अनुकूल डिजिटल पोर्टल

(क) ई-श्रम पोर्टल:

ई–श्रम पोर्टल देश में असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीयूडब्ल्यू) बनाने के इरादे से श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। असंगठित श्रमिकों के विवरण अर्थात नाम, व्यवसाय, पता, शैक्षिक योग्यता, कौशल के प्रकार, परिवार के विवरण आदि को पोर्टल द्वारा उनके रोजगारपरकता की इष्टतम प्राप्ति के लिए लिया जाता है और उनके लिए सामाजिक सुरक्षा के लाभों का विस्तार किया

जाता है। पोर्टल में पंजीकरण निःशुल्क है और इसे आधार के साथ जोड़ा गया है। पंजीकरण के बाद श्रमिकों को अद्वितीय यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) के साथ एक ई–श्रम कार्ड जारी किया जाएगा और वे इस कार्ड के माध्यम से कहीं भी, किसी भी समय सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त करने में सक्षम होंगे। यदि कोई कर्मचारी ई–श्रम पोर्टल पर पंजीकृत है और दुर्घटना का शिकार होता है, तो वह मृत्यु या स्थायी अपंगता के मामले में 2 लाख रुपए और आंशिक विकलांगता पर 1 लाख रुपए मुआवजा पाने के लिए पात्र होगा। असंगठित श्रमिकों की सभी श्रेणियों में कुछ कृषि श्रमिक, दूध/खाद्य/सब्जी विक्रेता, प्रवासी श्रमिक, मछुआरे, बीड़ी श्रमिक, निर्माण श्रमिक, रिक्शा चालक, घरेलू कामगार, आशा कार्यकर्ता हैं।

26 अगस्त 2021 को पोर्टल के शुभारंभ के बाद से तीन महीने की इस अवधि में 9.11 करोड़ से अधिक पंजीकरण पूरे हो चुके हैं। यह इस पोर्टल को मिली जबरदस्त अनुक्रिया को दर्शाता है। पंजीकृत लोगों में लगभग 48 प्रतिशत महिलाएं हैं। पंजीकृत लोगों में से 61.18 प्रतिशत लोग 18–40 वर्ष के आयु वर्ग के हैं और इसके बाद 22.4 प्रतिशत लोग 40–50 वर्ष के आयु वर्ग के हैं। इसके अलावा, पंजीकृत लोगों में से 92.35 प्रतिशत की आय 10,000 रुपये से कम है। पंजीकृत लोगों की संख्या राज्य–वार देखें तो 2.09 करोड़ पंजीकृत लोग पश्चिम बंगाल के हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश (1.72 करोड़), ओडिशा (1.20 करोड़), बिहार (0.99 करोड़) से हैं। सैक्टर–वार पंजीकरण देखें तो सबसे अधिक पंजीकरण कृषि क्षेत्र (4.74 करोड़) से हुआ है। उसके बाद निर्माण (1.2 करोड़), घरेलू काम (0.82 करोड़) और परिधान क्षेत्र (0.58 करोड़) से हुआ है।

(ख) श्रम-सुविधा पोर्टल: एकीकृत श्रम सुविधा पोर्टल को प्रतिष्ठानों के लिए एक विशिष्ट श्रम पहचान संख्या (एलआईएन) के आवंटन; मानवीय विवेकाधिकार को खत्म करने के लिए कंप्यूटरीकृत प्रणाली के माध्यम से स्व–प्रमाणित और सरलीकृत ऑनलाइन वार्षिक रिटर्न और एक पारदर्शी श्रम निरीक्षण योजना (टीएलआईएस) दाखिल करने के लिए एक नियोक्ता अनुकूल पहल के रूप में 16 अक्टूबर, 2014 को शुरू किया गया। इस पोर्टल के उद्देश्य हैं: सभी श्रम कानूनों के अनुपालन के लिए 'वन–स्टॉप–शॉप' बनना; सभी प्रतिष्ठानों का एकीकृत डेटाबेस तैयार करना और अनुपालन एवं प्रवर्तन में पारदर्शिता लाना। कई राज्यों ने पहले ही पोर्टल के साथ खुद को एकीकृत कर लिया है।

(ग) राष्ट्रीय करिअर सेवा पोर्टल

राष्ट्रीय करिअर सेवा (एनसीएस) एक वन–स्टॉप समाधान है जो भारत के नागरिकों को रोजगार और करिअर से संबंधित सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। यह नौकरी चाहने वालों और नियोक्ताओं, प्रशिक्षण और करिअर मार्गदर्शन चाहने वाले उम्मीदवारों, प्रशिक्षण प्रदान करने वाली एजेंसियों और करिअर परामर्श आदि के बीच की खाई को पाटने की दिशा में काम करता है।

एनसीएस परियोजना अपने तीन आवश्यक स्तंभों के माध्यम से इस देश के लोगों तक पहुंचती है, ये स्तंभ हैं: एक अच्छी तरह से डिजाइन किए गए आईसीटी आधारित पोर्टल, जो एनसीएस पोर्टल है; मॉडल करिअर केंद्रों की देशव्यापी स्थापना और रोजगार

कार्यालयों के माध्यम से सभी राज्यों के साथ अंतर संबद्धता। यह केंद्रीकृत डिजिटल पोर्टल नौकरी की खोज, नौकरी मिलान, समृद्ध करिअर सामग्री, नौकरी मेलों की जानकारी, घरों और विभिन्न अन्य सेवाओं के लिए स्थानीय सेवा प्रदाताओं जैसे ड्राइवरों, प्लंबर, आदि की सेवाएं भी प्रदान करता है। यह पोर्टल नौकरी चाहने वालों, नियोक्ताओं, कौशल प्रदाताओं, करिअर परामर्शदाताओं, स्थानीय सेवा प्रदाताओं (एलएसपी), करिअर केंद्रों, प्लेसमेंट संगठनों, परिवारों (एलएसपी की सेवाओं का लाभ उठाने के लिए) और सरकारी विभागों के पंजीकरण की सुविधा प्रदान करता है। यह पोर्टल आईटी, कपड़ा, निर्माण से लेकर ऑटोमोबाइल, फार्मा आदि 53 प्रमुख उद्योग क्षेत्रों से 3000 से अधिक करिअर विकल्पों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। नौकरी चाहने वालों के पास उपयोगकर्ता अनुकूल तरीके से उद्योग के रुझानों तक भी पहुंच है। पंजीकरण ऑनलाइन और निःशुल्क है।

III. सरकार की श्रमिक कल्याण योजनाएं

क. सामाजिक सुरक्षा योजनाएं

(i) प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (पीएम-एसवाईएमवाई)

यह वृद्धावस्था सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा की एक स्वैच्छिक और अंशदायी मेगा पेंशन योजना है जो असंगठित क्षेत्र के उन श्रमिकों के लिए है जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये तक है। कोई भी श्रमिक, जिसकी आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच है, इस पेंशन योजना में शामिल हो सकता है। कार्यशील आयु के दौरान प्रति माह 55 रुपये से 200 रुपये के बीच एक अल्प योगदान करके 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपये की सुनिश्चित मासिक पेंशन मिलेगी। 18 वर्ष की आयु में पेंशन योजना में शामिल होने वाले श्रमिक को 60 वर्ष की आयु तक प्रति माह केवल रु. 55 जबकि 40 वर्ष की आयु में योजना में शामिल होने वाले श्रमिक को प्रति माह 200 रुपये का अंशदान देना होगा। केंद्र सरकार

द्वारा समान राशि का अंशदान दिया जाएगा। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले अधिकांश श्रमिकों यथा स्ट्रीट वेंडर, रिक्शा चालक, निर्माण श्रमिक, कूड़ा बीनने वाले, घर पर काम करने वाले, खेतिहर मजदूर, बीड़ी मजदूर, स्वयं खाता श्रमिक, हथकरघा और चमड़े का काम करने वाले श्रमिक और इसी तरह के व्यवसायों में काम करने वाले श्रमिकों को इस योजना से लाभ मिलेगा।

लाभार्थी के पास आधार कार्ड और आईएफएसी के साथ एक बचत बैंक खाता/जनधन खाता होना चाहिए। असंगठित श्रमिकों (यूडब्ल्यू) की रोजगारपरकता की कठिनाइयों और अनिश्चित प्रकृति को ध्यान में रखते हुए योजना से बाहर निकलने के प्रावधानों को लचीला रखा गया है। यह श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रशासित एक सेंट्रल सैक्टर योजना है और भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) एवं सीएससी ई–गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड (सीएससी एसपीवी) के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। इस योजना के लिए नामांकन देश के सभी सामान्य सेवा केंद्रों द्वारा किया जाएगा। योजना के बारे में जानकारी केंद्र और राज्य सरकारों के सभी श्रम कार्यालयों, एलआईसी के सभी शाखा कार्यालयों और ईएसआईसी/ईपीएफओ के कार्यालयों से प्राप्त की जा सकती है जो असंगठित श्रमिकों की मदद के लिए सुविधा प्रदाता केंद्र के रूप में कार्य करेंगे। यदि अभिदाता ने नियमित रूप से अंशदान किया है और 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले किसी कारण से उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसका जीवनसाथी योजना में शामिल होने और योजना के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार योजना को जारी रखने या बाहर निकलने का हकदार होगा/होगी।

(ii) व्यापारियों और स्व-नियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस-ट्रेडर्स)/प्रधानमंत्री लघु व्यापार मान-धन योजना

व्यापारियों और स्व–नियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना एक ऐसी योजना है जिसे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा उन दुकानदारों, खुदरा व्यापारियों और स्व–नियोजित व्यक्तियों, जिनका वार्षिक टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है, के वृद्धावस्था संरक्षण एवं सामाजिक सुरक्षा के लिए लागू किया गया है। पीएम–एसवाईएम योजना की तरह यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है जिसमें केंद्र सरकार समान राशि का अंशदान करती है।

(iii) प्रधानमंत्री वय वंदना योजना

वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा की इस योजना को मार्च 2023 तक और 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इसका उद्देश्य देश के वरिष्ठ नागरिकों को उस समय नियमित पेंशन प्रदान करके आय में वृद्धि करना है जब ब्याज दरों में गिरावट होती है। न्यूनतम प्रवेश आयु 60 वर्ष (पूर्ण) है जिसमें 10 वर्ष की पॉलिसी शर्तें और प्रति वरिष्ठ नागरिक 15 लाख रुपये की निवेश सीमा है।

(iv) अटल पेंशन योजना (एपीवाई)

यह अंशदायी पेंशन योजना 01 जून 2015 को असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के मध्य दीर्घायु जोखिमों को दूर करने और मितव्ययिता की आदत डालने के लिए ताकि वे अपनी सेवानिवृत्ति के लिए स्वेच्छा से बचत कर सकें, के लिए शुरू की गई थी। यह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के माध्यम से पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा प्रशासित है।

एपीवाई के तहत किसी भी ग्राहक द्वारा अंशदान की न्यूनतम अवधि 20 वर्ष है। सदस्यता मासिक/तिमाही/अर्ध–वार्षिक आधार पर ली जा सकती है। अंशदान का स्तर अलग–अलग होता है और यदि ग्राहक जल्दी जुड़ता है तो यह कम होगा और अगर वह देर से शामिल होता है तो यह बढ़ जाता है। केंद्र सरकार का अंशदान कुल अंशदान का 50 प्रतिशत या 1,000 रुपए प्रति वर्ष, जो भी कम हो, 5 वर्ष की अवधि के लिए होगा। यह योजना 18 से 40 वर्ष की आयु के उन सभी नागरिकों के लिए खुली है जिनका बैंक या डाकघर में बचत बैंक खाता है। पेंशन ग्राहक की मृत्यु के बाद पति या पत्नी को देय है। एपीवाई में अंशदान एनपीएस के समान आयकर अधिनियम की धारा 80 सीसीडी(1) के तहत कर लाभ के लिए 50,000 रुपये तक की कटौती के लिए पात्र है।

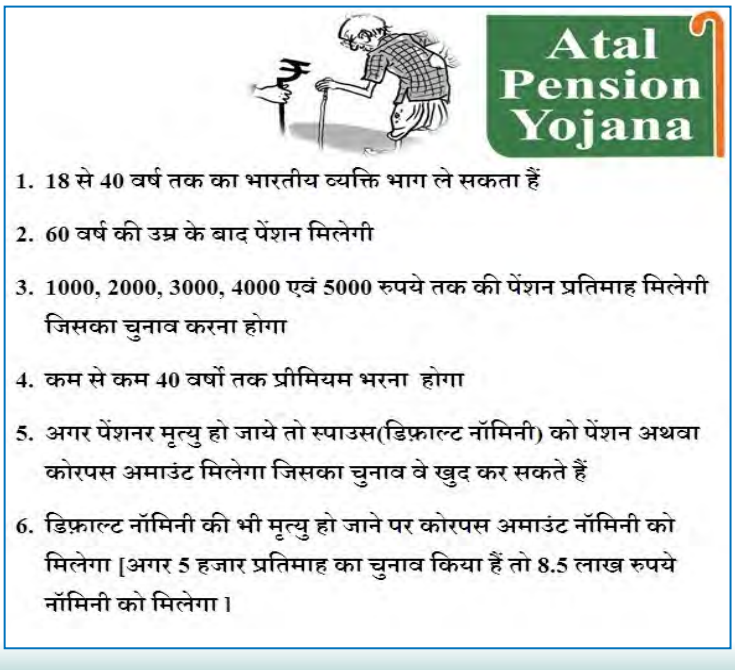

(v) जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई)

जेएसवाई योजना गर्भवती महिलाओं के बीच संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ और नवजात मृत्यु दर को कम करने के लिए सशर्त नकद हस्तांतरण प्रदान करती है। कम प्रदर्शन करने वाले राज्यों में संस्थागत प्रसव के लिए वित्तीय सहायता ग्रामीण क्षेत्रों में 1,400 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 1,000 रुपये तथा उच्च प्रदर्शन वाले राज्यों में यह ग्रामीण क्षेत्रों में 700 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 600 रुपये है।

(vi) प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई)

पीएमएमवीवाई शर्त आधारित प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजना है जिसके तहत गर्भवती महिलाओं को सीधे उनके बैंक खाते में नकद लाभ प्रदान किया जाता है ताकि उनकी बढ़ी हुई पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा किया जा सके और मजदूरी के नुकसान की आंशिक रूप से भरपाई की जा सके। इस योजना

के तहत मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य से संबंधित विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने के अधीन परिवार के पहले जीवित बच्चे के लिए गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं (पीडब्ल्यु एंड एलडब्ल्यु) के खाते में सीधे 6,000 रुपये का नकद प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।

(vii) आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई)

पीएम–जेएवाई का उद्देश्य गरीब परिवारों को अस्पताल में भर्ती होने के वित्तीय झटके से बचाना है। यह सार्वजनिक और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में भर्ती होने और माध्यमिक एवं तृतीयक देखभाल के लिए प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक की कवरेज प्रदान करता है।

(viii) आम आदमी बीमा योजना (एएबीवाई)

भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा प्रशासित एएबीवाई परिवार के एक कमाने वाले सदस्य को बीमा कवरेज प्रदान करता है। यह मौद्रिक सहायता प्रदान करती है, लाभार्थियों को मृत्यु या स्थायी या आंशिक विकलांगता के मामले में आर्थिक संकट से बचाती है।

(ix) प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई)

वित्त मंत्रालय के तहत पीएमजेजेबीवाई असंगठित श्रमिकों को प्रति वर्ष 330 रुपये के प्रीमियम के भुगतान पर 2 लाख रुपये का जीवन बीमा कवरेज प्रदान करती है। यह 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए लागू है।

(x) प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई)

इसे गरीब और असंगठित श्रमिकों के मध्य दुर्घटना बीमा की पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से 2015 में शुरू किया गया था। यह 18 से 70 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को साल–दर–साल नवीकरणीय एक साल का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा प्रदान करती है। इस योजना के तहत 12 रुपए प्रति वर्ष के प्रीमियम पर आकस्मिक

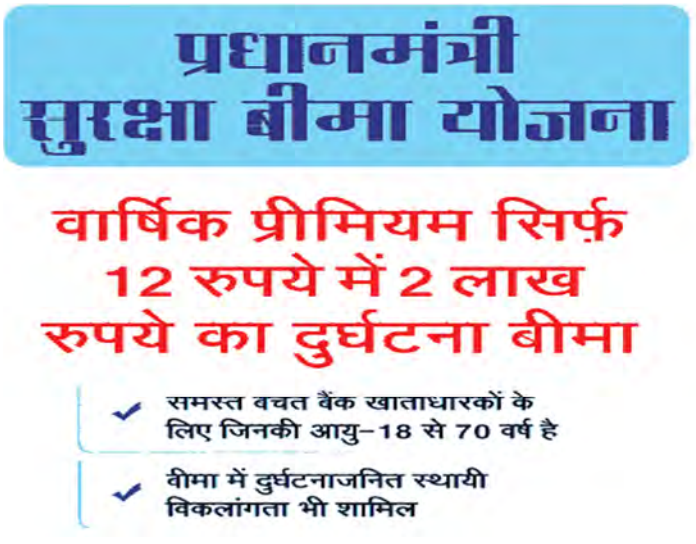

मृत्यु या स्थायी पूर्ण विकलांगता के लिए 2 लाख रुपए और स्थायी आंशिक विकलांगता के लिए 1 लाख रुपये का जोखिम कवरेज का बीमा किया जाता है।

(xi) अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (एबीवीकेवाई)

यह योजना कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) द्वारा पायलट परियोजना के आधार पर 01 जुलाई 2018 से 2 साल की अवधि के लिए शुरू की गई और बाद में जून 2021 तक बढ़ा दी गई। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य यह देखना था कि ईएसआई योजना के तहत आने वाले श्रमिकों को बेरोजगारी लाभ का भुगतान किया जाय। ईएसआई योजना का लक्ष्य 'कर्मचारियों' को बीमारी, मातृत्व, विकलांगता और रोजगार की चोट के कारण मृत्यु की घटनाओं के प्रभाव से बचाना और बीमित व्यक्तियों (आईपी) और उनके परिवारों को चिकित्सा देखभाल प्रदान करना है। ईएसआई योजना में श्रमिकों के लगभग 3.49 करोड़ परिवारों को शामिल किया गया है और लगभग 13.56 करोड़ लाभार्थियों को नकद लाभ और चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। राहत का दावा करने के लिए न्यूनतम 2 वर्ष का बीमा योग्य रोजगार आवश्यक है। ईएसआईसी के 'चिंता से मुक्ति' मोबाइल ऐप को उमंग (यूएमएएनजी – यूनिफाइड मोबाइल एप्लिकेशन फॉर न्यू–एज गवर्नेंस प्लेटफॉर्म) के माध्यम से उपलब्ध कराई गई आईपी केंद्रित सूचना सेवाओं के लिए शुरू किया गया है।

कोविड–19 महामारी के दौरान नौकरी छूटने से निपटने के लिए एबीवीकेवाई में छूट दी गई है जैसे कि बेरोज़गारी के अधिकतम 90 दिनों तक देय औसत वेतन का 50 प्रतिशत (पहले 25 प्रतिशत) राहत का भुगतान; श्रमिकों द्वारा दावा सीधे दायर किया जा सकता है (पहले उन्हें अंतिम नियोक्ता द्वारा अग्रेषित किया जाना था); बेरोजगारी के 30 दिनों (पहले 90 दिन) के बाद राहत देय हो जाती है; आवेदन की तारीख से 15 दिनों के भीतर लाभ का निपटान किया जाना है; आदि।

(xii) प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना

कोविड–19 की वजह से लगे लॉकडाउन के कारण रोजगार की बढ़ती मांग का मुकाबला करने और गरीबों, विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों को उनके स्वस्थ जीवन के लिए न्यूनतम आय प्रदान करने के लिए प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना/अभियान शुरू किया गया क्योंकि प्रमुख शहरों और कस्बों से इन प्रवासी श्रमिकों का उनके मूल राज्यों/गांवों की ओर तांता लगा हुआ था। इस अभियान का उद्देश्य आजीविका के अवसर प्रदान करने के अलावा सड़क, आवास, आंगनवाड़ी, पंचायत भवन और अन्य सामुदायिक संपत्ति जैसे सार्वजनिक कार्यों के माध्यम से बुनियादी ढांचे का

निर्माण करना था। विभिन्न प्रकार के कार्यों की टोकरी यह सुनिश्चित करने के लिए थी कि आने वाले 125 दिनों में प्रत्येक प्रवासी श्रमिक को उसके कौशल के अनुसार रोजगार का अवसर मिल सके।

(xiii) आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई)

एबीआरवाई को ईपीएफओ के साथ पंजीकृत नियोक्ताओं को सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ नए रोजगार के सृजन और कोविड 19 महामारी के दौरान रोजगार के नुकसान की बहाली के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया था।

यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और इसे आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के तहत 3 साल की अवधि (2020–2023) के लिए शुरू किया गया है। इस पैकेज के तहत भारत सरकार ईपीएफओ पंजीकृत प्रतिष्ठानों की रोजगार शक्ति के आधार पर देय अंशदान के नियोक्ता के हिस्से (मजदूरी का 12 प्रतिशत) और कर्मचारी के हिस्से (मजदूरी का 12 प्रतिशत) दोनों या केवल कर्मचारियों के हिस्से को वहन करती है।

15,000 रुपये से कम मासिक वेतन पाने वाला कर्मचारी जो 01 अक्टूबर 2020 से पहले ईपीएफओ के साथ पंजीकृत किसी भी प्रतिष्ठान में काम नहीं कर रहा था और उसके पास 01 अक्टूबर 2020 से पहले एक सार्वभौमिक खाता संख्या या ईपीएफ सदस्य खाता संख्या नहीं थी, वह इस लाभ के लिए पात्र है। इसके अलावा, 15,000 रुपये से कम मासिक वेतन पाने वाला कोई भी ईपीएफ सदस्य जिसके पास यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है और जो 01.03.2020 से 30.09.2020 तक कोविड–19 महामारी के दौरान रोजगार से बाहर हो गया और 30.09.2020 तक किसी भी ईपीएफ द्वारा कवरेज प्राप्त प्रतिष्ठान में रोजगार में शामिल नहीं हुआ, वह भी लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र है। यह योजना श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।

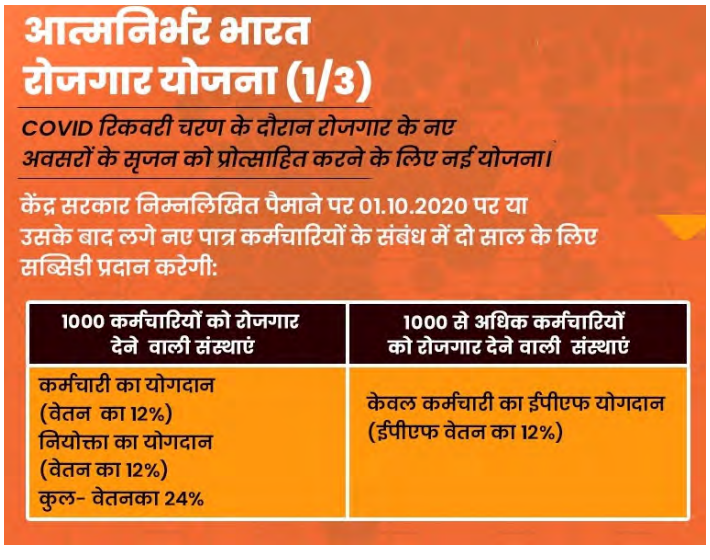

इस योजना से एमएसएमई सहित विभिन्न क्षेत्रों/उद्योगों के नियोक्ताओं के वित्तीय बोझ को कम करने तथा उन्हें और अधिक श्रमिकों को रखने के लिए प्रोत्साहित करने की उम्मीद है। यह अधिक रोजगार भी पैदा करेगा और महामारी के कठिन दौर के दौरान उद्योगों को कर्मचारियों को नौकरी से निकालने/हटाने से हतोत्साहित करेगा।

(xiv) प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)

यह एक आय सहायता योजना है जो छोटे और सीमांत किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रति वर्ष 6,000 रुपये तक का प्रावधान करती है। इसका उद्देश्य किसानों की आर्थिक सुरक्षा में सुधार करना है।

(xv) मछुआरों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय योजना

यह कमजोर मौसम के दौरान और घरों एवं नलकूपों के निर्माण जैसे अन्य उद्देश्यों के लिए मछुआरों को वित्तीय सहायता का प्रावधान करती है। यह योजना

किसी व्यक्ति के व्यवसाय की मौसमी असुरक्षा को कम करती है। मत्स्य संपदा योजना का उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा और दुर्घटना बीमा के साथ सभी मछुआरों को लाभान्वित करने के लिए एक्वा कल्चर को बढ़ावा देना है। केंद्रीय क्षेत्र की यह योजना नीति निर्माण, विपणन और बुनियादी ढांचा सहायता के उचित मिश्रण के माध्यम से भारत को मछली और जलीय उत्पादों का केंद्र बनाने का प्रयास करती है।

(ख) प्रशिक्षण, कौशल और उद्यमिता विकास

(i) हरित कौशल विकास कार्यक्रम (जीएसडीपी)

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का यह कार्यक्रम युवाओं को लाभकारी रोजगार प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए पर्यावरण और वन क्षेत्र में कौशल विकास की एक पहल है। कार्यक्रम तकनीकी ज्ञान और सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता रखने वाले हरित कुशल श्रमिकों को विकसित करने का प्रयास करता है। यह राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी), सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी), राष्ट्रीय जैव विविधता लक्ष्य (एनडीटी) और अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 की प्राप्ति में मदद करेगा। कौशल कार्यक्रमों में प्रदूषण निगरानी, अपशिष्ट प्रबंधन, जल बजट, वन्य जीवन प्रबंधन, पैरा वर्गीकरण जैसे विविध क्षेत्रों को शामिल किया गया है। पाठ्यक्रमों की अवधि 80 घंटे से 560 घंटे तक है। पहले चरण में मास्टर प्रशिक्षकों/विशेषज्ञों का एक पूल तैयार किया जाएगा जो आगे चलकर देश भर के युवाओं को प्रशिक्षित करेगा।

(ii) डिजी सक्षम

युवाओं के डिजिटल कौशल में सुधार करके उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिए डिजिटल कौशल कार्यक्रम 'डिजी सक्षम' को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट इंडिया द्वारा एक संयुक्त पहल के रूप में 2021 में शुरू किया गया था। यह विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध–शहरी क्षेत्रों के युवाओं को समर्थन देने के सरकार के चालू कार्यक्रमों का विस्तार है। कार्यक्रम को 'आगा खान ग्रामीण सहायता कार्यक्रम भारत (एकेआरएसपी–I)' द्वारा क्षेत्र में लागू किया जाएगा।

इस पहल के तहत 3 लाख से अधिक युवाओं को बुनियादी डिजिटल कौशल और/अथवा एडवांस कंप्यूटिंग यथा एक्सेल, जावा स्क्रिप्ट, डेटा विज़ुअलाइज़ेशन, पावर बीआई, एचटीएमएल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फंडामेंटल, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोडिंग का परिचय आदि में निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। कार्यक्रम में

3 घटक हैं – डिजिटल स्किल्स सेल्फ–पेस्ड लर्निंग, वीआईएलटी (वर्चुअल इंस्ट्रक्टर लेड ट्रेनिंग) मोड और आईएलटी (इंस्ट्रक्टर लेड ट्रेनिंग) मोड जहां प्रशिक्षण व्यक्तिगत रूप से होता है और यह मॉडल करिअर सेंटर (एमसीसी) और नेशनल करिअर सर्विस सेंटर (एनसीएससी) में आयोजित किया जाएगा।

(iii) दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई)

इसे 25 सितंबर 2014 को अंत्योदय दिवस के अवसर पर शुरू किया गया और इसका उद्देश्य जनसांख्यिकीय अधिशेष को जनसांख्यिकीय लाभांश में बदलना और ग्रामीण युवाओं के कौशल एवं उत्पादक क्षमता को विकसित करके समावेशी विकास के एजेंडे में शामिल करना था। अनुसूचित जाति/

अनुसूचित जनजाति/ओबीसी/महिला/पीडब्ल्यूडी/अल्पसंख्यकों को कवर करते हुए 15–35 वर्ष के आयु वर्ग के ग्रामीण युवाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस योजना में राष्ट्रीय स्तर पर एक त्रि–स्तरीय कार्यान्वयन मॉडल है जिसमें डीडीयू–जीकेवाई नीति निर्माण और सुविधा प्रदाता एजेंसी के रूप में कार्य करता है व तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है। डीडीयू–जीकेवाई राज्य मिशन कार्यान्वयन सहायता प्रदान करते हैं और क्षेत्र स्तर पर कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) कौशल एवं प्लेसमेंट परियोजनाओं के माध्यम से कार्यक्रम को लागू करती हैं। डीडीयू–जीकेवाई ने स्किलिंग के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत के संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

(iv) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई)

पीएमकेवीवाई 3.0 को जनवरी 2021 में शुरू किया गया, इसका उद्देश्य भारत के युवाओं को 300 कौशल पाठ्यक्रम उपलब्ध करा करके रोजगार योग्य कौशल के साथ सशक्त बनाना था। इस योजना से युवाओं के लिए उपलब्ध कौशल अवसरों पर सूचित विकल्प बनाने, कौशल प्रशिक्षण और प्रमाणन के लिए युवाओं को सहायता प्रदान करने और निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी के लिए स्थायी कौशल केंद्रों को बढ़ावा देने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की उम्मीद है। प्रशिक्षण के तरीकों में शामिल हैं (i) पीएमकेवाई 3.0 संबद्ध प्रशिक्षण केंद्रों में शारीरिक रूप से आयोजित कक्षा आधारित दृष्टिकोण (सिद्धांत और व्यावहारिक दोनों) और (ii) मिश्रित दृष्टिकोण जिसमें पाठ्यक्रम के सिद्धांत भाग को डिजिटल/ऑनलाइन मोड के माध्यम से प्रतिपादित किया जा सकता है और व्यावहारिक भाग को भौतिक प्रशिक्षण अवसंरचना का उपयोग करके संबद्ध प्रशिक्षण केंद्र में प्रतिपादित किया जाएगा। पीएमकेवीवाई 3.0 को नए युग और उद्योग 4.0 नौकरी भूमिकाओं के क्षेत्रों में कौशल विकास को बढ़ावा देकर मांग–आपूर्ति के अंतर को पाटने पर ध्यान देने के साथ अधिक प्रशिक्षु/शिक्षार्थी–केंद्रित होने के लिए डिज़ाइन किया गया है। प्रशिक्षण के लिए अपने

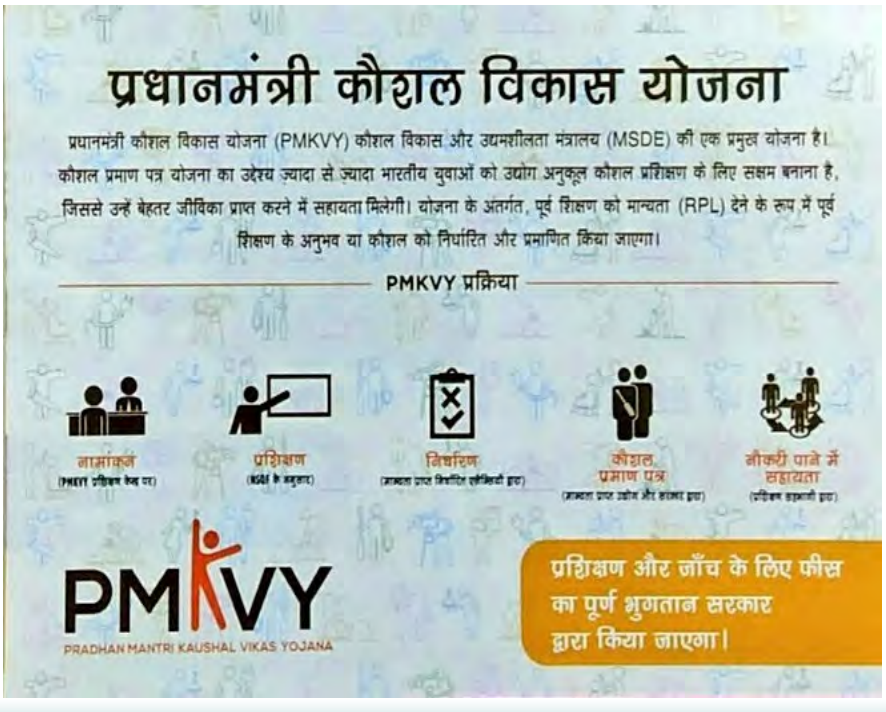

नीचे से ऊपर के दृष्टिकोण के कारण स्थानीय स्तर पर मांग वाली नौकरी की भूमिकाओं की पहचान करने और इन्हें इन अवसरों से जोड़ने के साथ तदनुसार युवाओं को कुशल बनाने की अपेक्षा की जाती है।

पहले पीएमकेवीवाई 1.0 और 2.0 को उद्योग की मांगों के अनुरूप युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ावा देने के इरादे से शुरू किया गया था। पीएमकेवीवाई 1.0 को 15 जुलाई 2015 (विश्व युवा कौशल दिवस) पर शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य मुफ्त लघु अवधि कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना और कौशल प्रमाणन के लिए युवाओं को मौद्रिक पुरस्कार प्रदान करके इसे प्रोत्साहित करना था। 2015–2016 के प्रारंभिक वर्ष में लगभग 19.85 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया था। 2016–2020 की अवधि को कवर करते हुए पीएमकेवीवाई 2.0 को सेक्टर और भूगोल दोनों के संदर्भ में विस्तार करके और भारत सरकार के अन्य मिशनों जैसे मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत आदि के साथ अधिक संरेखण के द्वारा शुरू किया गया था।

पीएमकेवीवाई योजना के दो घटक हैं – केंद्र प्रायोजित केंद्रीय रूप से प्रबंधित (सीएससीएम) जिसे राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) द्वारा कार्यान्वित किये जाने वाले केंद्रीय घटक के रूप में जाना जाता है और केंद्र प्रायोजित राज्य प्रबंधित (सीएसएसएम) जिसे राज्य कौशल विकास मिशनों (एसएसडीएम)/राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के संबंधित विभागों द्वारा कार्यान्वित किये जाने वाले राज्य घटक के रूप में जाना जाता है। योजना के कुल लक्ष्य को लगभग 75:25 के अनुपात में केंद्रीय और राज्य घटकों के बीच विभाजित किया जाएगा।

(v) विकास के लिए पारंपरिक कलाओं/शिल्पों में कौशल और प्रशिक्षण का उन्नयन (उस्ताद)

यह योजना 2015 में पारंपरिक कला एवं शिल्प की विरासत को संरक्षित करने और पारंपरिक कारीगरों एवं शिल्पकारों की क्षमता निर्माण और वैश्विक बाजारों के साथ पारंपरिक कौशल के संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। यह योजना देश और विदेश में आयोजित प्रदर्शनी के माध्यम से उत्पादों के विपणन के लिए हुनर हाट और शिल्प उत्सव के आयोजन के अलावा अनुसंधान और विकास के लिए उस्ताद प्रशिक्षुओं के लिए वजीफा भी प्रदान करती है।

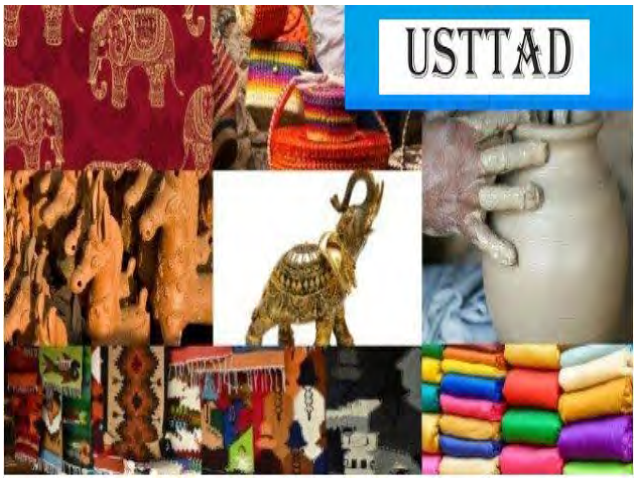

(vi) नई मंजिलः इसे एक एकीकृत शिक्षा और आजीविका पहल के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदाय के कर्मियों के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए अगस्त 2015 में शुरू किया गया था। योजना का प्राथमिक उद्देश्य शिक्षा संपन्न कार्यक्रम के योग्य युवाओं को कक्षा 8वीं/10वीं का ओपन स्कूलिंग प्रमाणन प्राप्त करना; उत्पादक रोजगार के लिए उच्च गुणवत्ता वाले कठोर और सॉफ्ट कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। विश्व बैंक अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के साथ साझेदारी करके तकनीकी सहायता, जिसमें योजनाओं के बजट का 50 प्रतिशत शामिल है, प्रदान कर रहा है।

गरीब नवाज कौशल विकास केंद्र इन्हें 2017 में अल्पसंख्यक समुदायों के युवाओं को रोजगारपरक बनाने के लिए अल्पकालिक रोजगार उन्मुख कौशल

विकास पाठ्यक्रम प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया। इसे विभिन्न राज्यों में शुरू किया गया है।

(vii) प्रवासी कौशल विकास योजना ((पीकेवीवाई)

इस योजना का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप युवाओं के सॉफ्ट और डोमेन कौशल को बढ़ाना और उन्हें विदेशों में रोजगार प्राप्त करने में मदद करना है। इसे राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) द्वारा अपने प्रशिक्षण भागीदारों के माध्यम से लागू किया जाएगा। योजना के अल्पावधि पाठ्यक्रमों (2 सप्ताह से 1 महीने) से उम्मीद की जाती है कि वे विभिन्न देशों में चुनौतीपूर्ण असाइनमेंट को आत्मविश्वास के साथ लेने और अंतर्राष्ट्रीय कौशल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उम्मीदवारों को समग्र रूप से तैयार करेंगे।

प्रवासी कौशल विकास योजना

- यह अपने प्रशिक्षण के भागीदारों के माध्यम से और विदेश मंत्रालय और केंद्रीय कौशल विकास मंत्री के साथ विचार-विमर्श करके राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) द्वारा लागू किया गया है।
- इस योजना का उद्देश्य विदेशों में रोजगार की तलाश करने वाले भारतीय युवाओं की कौशल विकास क्षमता में संवर्द्धन करना है।
- योजना के तहत विदेशों में नौकरी की तलाश कर रहे भारतीय कारीगरों को कौशल विकास पेशकश की जाएगी। इस सहमति पत्र के तहत एक ऐसा ढांचा तैयार किया जाएगा जो हर साल लाखों की संख्या में विदेश जाने वाले भारतीय कारीगरों को कौशल प्रशिक्षण (skill training)प्रदान करेगा।

(viii) महिला प्रशिक्षण और रोजगार सहयोग कार्यक्रम (एसटीईपी)

यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका उद्देश्य कठोर और सॉफ्ट कौशल दोनों प्रदान करना है जो महिलाओं को कृषि, बागवानी, खाद्य प्रसंस्करण, हथकरघा, सिलाई/कढ़ाई, हस्तशिल्प, कंप्यूटर और आईटी सक्षम सेवाएं, आतिथ्य क्षेत्र, यात्रा और पर्यटन क्षेत्र आदि के साथ–साथ सॉफ्ट स्किल्स के क्षेत्र में स्वरोजगार या उद्यमियों के रूप में रोजगार प्रदान करते हैं।

महिला प्रशिक्षण और रोजगार सहयोग कार्यक्रम (एसटीईपी)

(ix) शिक्षुता प्रोत्साहन योजना

प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 को उद्योग में प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम को अंतःकार्य प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करके विनियमित करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम निर्दिष्ट उद्योगों में नियोक्ताओं के लिए यह अनिवार्य बनाता है कि वे उद्योग के लिए कुशल जनशक्ति विकसित करने के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीटी) द्वारा जारी राष्ट्रीय व्यापार प्रमाण पत्र वाले युवाओं और व्यक्तियों को उद्योग में नौकरी पर प्रशिक्षुता प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए निर्दिष्ट ट्रेडों में प्रशिक्षुओं को शामिल करें। प्रशिक्षुओं की चार श्रेणियां हैं अर्थात ट्रेड प्रशिक्षु, स्नातक, तकनीशियन और तकनीशियन (व्यावसायिक) प्रशिक्षु। ट्रेड प्रशिक्षुओं की योग्यता कक्षा आठवीं पास

से (10 + 2) प्रणाली में बारहवीं पास तक भिन्न होती है। प्रशिक्षण की अवधि 6 महीने से 4 वर्ष तक भिन्न होती है।

इस योजना के तहत सरकार मुख्य रूप से निर्माण इकाइयों और अन्य प्रतिष्ठानों को उनके प्रशिक्षण के पहले दो वर्षों के दौरान प्रशिक्षुओं को भुगतान किए गए वजीफे के 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति करके समर्थन देगी। उद्योग और युवाओं की जरूरतों के लिए इसे और अधिक प्रतिक्रियाशील बनाने के लिए शिक्षुता अधिनियम 1961 में भी संशोधन किया गया है।

(x) प्रधान मंत्री मुद्रा योजना: इसे मौजूदा छोटे व्यवसायों की उद्यमशीलता गतिविधि को बढ़ाने और छोटे उद्यमियों को ऋण प्रदान करके पहली पीढ़ी के उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 2015 में शुरू किया गया। इस योजना से छोटे पैमाने के उद्यमों, जो श्रम प्रधान हैं, को बढ़ावा देने की उम्मीद थी ताकि इससे अधिक रोजगार उपलब्ध हो सके। इस योजना के तहत सभी ऋण बिना किसी आनुषंगिक के प्रदान किए जाते हैं। ऋण मुद्रा कार्ड के माध्यम से प्रदान किया जाता है जिसे नियमित डेबिट कार्ड के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इस योजना के तहत 3 प्रकार के ऋण हैं – शिशु, किशोर और तरुण।

(x) स्टार्टअप इंडिया पहल

यह भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य देश में नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है जो सतत आर्थिक विकास को गति देगा और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करेगा। इस पहल के माध्यम से सरकार का लक्ष्य नवाचार और डिजाइन के माध्यम से स्टार्टअप्स को आगे बढ़ने के लिए सशक्त बनाना है। संपूर्ण स्टार्टअप इको–सिस्टम के लिए संपर्क का एकल बिंदु बनाने और ज्ञान के आदान–प्रदान और फंडिंग तक पहुंच को सक्षम करने के लिए 'स्टार्टअप इंडिया हब' की स्थापना की गई है।

(xii) स्टैंड अप इंडिया

इसे 2016 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक ग्रीन फील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय पहुंच की सुविधा के माध्यम से शुरू किया गया था। यह योजना ग्रीन फील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए प्रति बैंक शाखा में कम से कम 1 अनुसूचित जाति या 1 अनुसूचित जनजाति के उधारकर्ता और कम से कम 1 महिला उधारकर्ता को 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये के बीच बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करती है। उद्यम विनिर्माण, सेवा या व्यापारिक क्षेत्र में हो सकता है। ऋण 7 वर्षों में चुकाने योग्य है और अधिकतम 18 महीने की अधिस्थगन अवधि है।

(xiii) मेक इन इंडिया

कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को एक महत्वपूर्ण निवेश गंतव्य और विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में बढ़ावा देना है। इसके अन्य उद्देश्यों में निवेश की सुविधा, नवाचार को बढ़ावा देना, क्लास बुनियादी ढांचे का निर्माण, व्यापार सुगमता में सुधार और कौशल विकास को बढ़ाना शामिल है। इस योजना के तहत प्रमुख लक्ष्य हैं (i) अर्थव्यवस्था में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए विनिर्माण क्षेत्र की विकास दर को 12–14 प्रतिशत प्रति वर्ष तक बढ़ाना, (ii) 2022 तक अर्थव्यवस्था में 100 मिलियन अतिरिक्त विनिर्माण रोजगार सृजित करना, और (iii) यह सुनिश्चित करना कि सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान 2025 तक बढ़कर 25 प्रतिशत हो जाए।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा 'कार्य के भविष्य' पहल के एक भाग के रूप में नियुक्त किए गए कार्य के भविष्य पर वैश्विक आयोग ने कार्य के भविष्य को प्राप्त करने के लिए एक 'मानव–केंद्रित दृष्टिकोण' अपनाने की सिफारिश की थी जो सभी के लिए उत्कृष्ट एवं टिकाऊ कार्य अवसर प्रदान करता है। आयोग ने लोगों की क्षमताओं में निवेश बढ़ाने, कार्य संस्थानों में निवेश बढ़ाने और उत्कृष्ट एवं टिकाऊ कार्य में निवेश बढ़ाने की 3–त्वरित रणनीति का सुझाव दिया। जैसा कि ऊपर बताया गया है, चार श्रम संहिताओं के विभिन्न प्रावधान; सभी लोगों, जो श्रम जगत में हैं अथवा जो श्रम जगत में आने का इरादा रखते हैं, के कल्याण के लिए सरकार की डिजिटल पहल और योजनाएं एक समावेशी विकास प्राप्त करने की दिशा में और फिर संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने में तेजी से आगे बढ़ने के देश के इरादों को दर्शाते हैं।

संदर्भ

1. भारत का राजपत्र (2019), मजदूरी संहिता, 2019
2. भारत का राजपत्र (2020), औद्योगिक संबंध संहिता, 2020
3. भारत का राजपत्र (2019), सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020
4. भारत का राजपत्र (2019), व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशाएं संहिता, 2020
5. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) की वेबसाइट
6. भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय; कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय; अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय; कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय; सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय; वित्त मंत्रालय; स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय; महिला एवं बाल विकास मंत्रालय; पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय; सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय; संचार मंत्रालय; संस्कृति मंत्रालय; युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय; जनजातीय कार्य मंत्रालय; शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट।

अस्वीकरण: यह आलेख मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित आलेख का हिंदी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित आलेख मान्य होगा।

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान श्रम एवं इससे संबंधित मुद्दों पर अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा, प्रकाशन और परामर्श का अग्रणी संस्थान है। इस संस्थान की स्थापना 1974 में की गई थी और यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय है।

विज़न

''संस्थान को श्रम अनुसंधान और प्रशिक्षण में वैश्विक रूप से प्रतिष्ठा प्राप्त ऐसे संस्थान के रूप में विकसित करना जो उत्कृष्टता का केंद्र हो तथा कार्य की गुणवत्ता और कार्य संबंधों को बढ़ावा देने के प्रति कृत संकल्प हो।''''

मिशन

संस्थान का मिशन निम्नलिखित के माध्यम से श्रम तथा श्रम संबंधों को विकास की कार्यसूची में विशेष केंद्र के रूप में स्थापित करना है:-

- कार्य की दुनिया में रूपांतरण के मुद्दे पर कार्रवाई करना;
- श्रम तथा रोजगार से संबंधित मुख्य सामाजिक भागीदारों तथा पणधारियों के बीच कौशल तथा अभिवृत्ति और ज्ञान का प्रचार-प्रसार करना;
- वैश्विक स्तर के अनुसंधानिक अध्ययनों और प्रशिक्षण हस्तक्षेपों को हाथ में लेना; और
- ऐसे विश्व प्रसिद्ध संस्थानों के साथ समझ निर्माण और साझेदारी बनाना जो श्रम से संबंधित हैं।

प्रकाशनों के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें:

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान

सैक्टर 24, नौएडा-201 301

उत्तर प्रदेश (भारत)

वेबसाइट: www.vvgnli.gov.in